न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात
मुकदमा अ० सं०– 71/2020
सरकार बनाम राज बहादुर आदि।

<u>आरोप</u>

मैं कृपा शंकर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण राज बहादुर, उदय नारायण, सन्तोष उर्फ भागीरथ, रामजेश, धर्मेन्द्र उर्फ गुड्डू, राम किशोर, सौरभ उर्फ रवि व अभिमन्यु उर्फ भोला को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक 31.05.2020 समय 4 बजे शाम, घटना स्थल प्रार्थी के घर के अन्दर, थाना सट्टी, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य आशय से वादी मुकदमा पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 352/34 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा व अल्का एवं प्रदीप शुक्ला के साथ मारपीट कर उपहति कारित की इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 323/34 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा व अल्का एवं प्रदीप शुक्ला को धारदार हथियार से मारपीट कर उपहति कारित की। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा324/34 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा आप अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

कृपा शंकर
दिनांक 31.08.2021 सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात
ID NO. UP02625

उक्त आरोप को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवम समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों से इन्कार किया एवम परीक्षण की मांग की।

कृपा शंकर
दिनांक 31.08.2021 सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात
ID NO. UP02625